

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

बालिका शिक्षा विभाग, भोपाल-472004

क्रमांक-ए-73-13 /2006/20-3

भोपाल, दिनांक 30-6-2007

प्रति,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
प्रति बिहार, नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था मधुषि विद्या मंदिर दमोह जिला दमोह
म.प्र. को सी.वी.ए.ए.ए. /आई.सी.ए.ए.ए. नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने बाबू।

राज्य शासन द्वारा अशासकीय संस्था मधुषि विद्या मंदिर दमोह
जिला दमोह - म.प्र. को सी.वी.ए.ए.ए. /आई.सी.ए.ए.ए.,
नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया
जाता है:-

1. प्रदेश में शिक्षण की जो संस्थारें स्थापित हो चुकी है, उनका काम प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सकें इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जायेगा।
2. विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान छात्रावास भवन सचिवा आदि आवश्यकानुसार उपलब्ध करायेगे। इस हेतु संस्था से पत्र लिखा जायेगा।
3. इस संस्थाओं के संचालन में अनिश्चितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।

निरन्तर-2 पर

4. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्डों से सम्बन्धता मिलने के उपरान्त भी म. प्र. राज्य शासन या लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन करने का ध्यान-पत्र संस्था से प्राप्त किया जायेगा ।
5. संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा ।
6. प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेला का आयोजन आदि में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान करेंगे ।
7. अज्ञातकीय शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रदेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे । शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा ।
8. छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री छूटी बाजार से क्रय करने की सुविधा रहेगी । किती दुकान विशेष से क्रय करने की व्यवस्था नहीं रहेगी ।
9. शिक्षण संस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार क्रियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्थाओं को करना होगा ।
10. संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यालय तक जाने एवं वापिस निवास तक जाने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वेध वाहनों को ही उपयोग किया जायेगा; छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी स्थिति में अशुभ साधन जैसे घरेलू स्ल. पी. जी. आदि से तैयार नहीं किया जायेगा ।

निरन्तर : 3/8

11. निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। कोई भी संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिवायत यदि सिध्द पाई गई तो संस्था का अनापूर्ति प्रभाव-पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
12. संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जाएगा और भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

§ २०२०० बगारे §
अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


भोपाल, दिनांक 30-6-2007

पू०क्र०-एफ-73-13 /2006/20-3

प्रतिलिपि:-

1. आइएल, लोक शिक्षण संवाचनालय, म. प्र. भोपाल।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला दमोह - म० प्र० - 1 - - - -
3. प्रायार्द, आचारणीय शिक्षण संस्था महार्थी विद्या मंदिर दमोह -
जिला दमोह म० प्र० - 1 - - - - -
4. आर्डर बुक।

की ओर सूदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उद्दिष्ट।


अवर सचिव

म. प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

✓